न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 30/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/ 00032)

राधेश्याम पुत्र हजारीदास जाति स्वामी निवासी रामसरा तहसील चूरू जिला चूरू

अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार चूरू।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत – अभिभाषक अपीलान्ट
उपस्थितः 2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 07.12.2021**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 31.10.2019 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार चूरू के निर्णय दिनांक 03.07.2019 के विरूद्ध जिला कलक्टर चूरू में प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया किया कि तहसीलदार चूरू द्वारा अपीलान्ट को खसरा नं. 1064/348 तादादी 0.7937 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किये जाने के आदेश दिये है उसे निरस्त किये जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चूरू ने अपने निर्णय दिनांक 31.10.2019 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जांकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील गीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि जैर अपील रकबा वाके रोही रामसरा के खं. नं. 1064/348 तादादी 0.7937 हैक्टर भूमि मंदिर श्री रघुनाथजी की खातेरारी है जिसका अपीलांट पीढी दर पीढी पुजारी है पूर्व में अपीलान्ट के दादा गणपतदास जी रिर्कोडेड पुजारी

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रहे है, वर्तमान मे राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.91 द्वारा पुजारी का नाम जबाबन्दी में हटाकर अलग से रजिस्टर में अंकन करने के निर्देश दिये जाने से रिकार्ड राजस्व में पुजारी का नाम अंकन नही है, के अलावा परिपत्र दिनांक 24.05.2007 में पुजारी को खातेदार माना है। परिपत्र दिनांक 12.09.2018 मे सरकार ने पुजारी को मंदिर का सरक्षक मानते हुये मन्दिर विकास के लिए विधुत, पेयजल, ट्यूबवेल कनेक्शन लेने हेतु, फसल खराबे की स्थिति में अनुदान प्राप्त करने एवं मन्दिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में पुजारी को अतिक्रमी के खिलाफ कार्यवाही हेतु निर्देशित किया हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण में पुजारी द्वारा जो दो कच्चे पक्के छान इत्यादी मन्दिर के विकास हेतु कृषि यन्त्र एव फसल रखने हेतु पूर्व से ही बनाये हुऐ है। पटवारी हल्का की झूठी एवं अस्पष्ट रिर्पोट के आधार पर तहसीलदार चूरू ने अपीलान्ट को धारा 91 एल आर एक्ट के तहत अतिक्रमी का नोटिस जारी कर दिया जबकि अपीलान्ट तो मन्दिर का पुजारी एवं सरंक्षक है। जिला कलक्टर चूरू ने अपने निर्णय दिनांक 31.10.2019 में लालचन्द पुत्र तोलाराम सैनी को अतिक्रमी किरायेदार अंकित किया है जबकि दोनो ही न्यायालयो में लालचन्द को पक्षकार ही नही बनाया है ना ही बयानात आदि करवाये है। झूठी शिकायत एवं राजनैतिक रंजिश के चलते आदेश पारित किये गये है। जैर अपील रकबा की भौतिक जांच नही की गई है ना ही शिकायत कर्ता के तथ्यो की जांच हुई है, ना ही अतिक्रमी भूमि के आसा पासा दर्ज है ना ही मौके पर तहसीलदार ने कोई मुआवना किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर हर दोनो अधीनस्थ न्यायालय के आदेशो को निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील ग्राम रामसरा तहसील चूरू के खसरा नं. 1064/348 तादादी 0.7937 हैक्टैयर भूमि जो मंदिर श्री रघुनाथ जी के नाम खातेदारी दर्ज है, अपीलान्ट द्वारा

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

होटल/ढाबा बनाकर अतिक्रमण किये जाने एवं उसे किराये पर दिये जाने पर तहसीलदार चूरू ने विधिवत सुनवाई करते हुए राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 12.09.2018 के अनुसरण मे अतिक्रमी मानते हुए निर्णय पारित किया है जिसके विरूद्व प्रथम अपील जिला कलक्टर चूरू के संमक्ष निर्माण को सुधार एवं किरायेदार को नही सुनने के आधार पर प्रस्तुत है जो कि दिनांक 31.10.2019 को खारिज की गई है। उक्त निर्णय के विरूद्व यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रथम अपील में किये गये कथनो की पुनरावर्ती की गई है कोई नया तथ्य या कानूनी बिन्दु प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार जिला कलक्टर चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2019 एवं तहसीलदार चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2019 में किसी प्रकार की सारवान त्रुटि नही पाई गई है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।